उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1964)

THE UTTAR PRADESH SHEERA NIYANTRAN ADHINIYAM, 1964

(U.P. Act No. XXIV of 1964)

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964[1]

[उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 24, 1964]

उ0 प्र0 अधिनियम सं0 15, 1974
उ0 प्र0 अधिनियम सं0 05, 1986
उ0 प्र0 अधिनियम सं0 10, 1995
उ0 प्र0 अधिनियम सं0 04, 1998
उ0 प्र0 अधिनियम सं0 17, 2000
उ0 प्र0 अधिनियम सं0 10, 2009
उ0 प्र0 अधिनियम सं0 33, 2018
उ0 प्र0 अधिनियम सं0 37, 2018
उ0 प्र0 अधिनियम सं0 44, 2018
उ0 प्र0 अधिनियम सं0 13, 2021
उ0 प्र0 अधिनियम सं0 35, 2021
उ0 प्र0 अधिनियम सं0 01, 2023
उ0 प्र0 अधिनियम सं0 18, 2023

द्वारा संशोधित

[उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 12 फरवरी, 1964 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 4 अगस्त, 1964 ई० की बैठक में स्वीकृत किया ।

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 17 अक्टूबर, 1964 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 9 नवम्बर, 1964 ई० को प्रकाशित हुआ ।]

[2] [उत्तर प्रदेश मे शक्कर के कारखानों द्वारा उत्पादित शीरे के संग्रहण, श्रेणीकरण और मूल्य को नियंत्रित करने तथा उसके संभरण और वितरण को लोकहित में, विनियमित करने की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम]

[3][X X X]

अतएव भारतीय गणतंत्र के पन्द्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:––

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त शीर्षनाम और प्रसार

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 कहलायगा ।

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

परिभाषाएं

2–विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में ––

[4] [(क) ''बी–हैवी शीरे'' का तात्पर्य बी–मासेक्यूइट के परिशोधन के परिणामस्वरूप प्राप्त शीरे से है जिसमें पूर्ववर्ती तीन चीनी मौसमों की उसी अवधि के दौरान वैक्यूम पैन चीनी कारखाना में समरूप प्रक्रिया से प्राप्त औसत शुद्धता के सदृश शुद्धता निहित है;

[4][(क–1) ''ब्रिक्स'' का तात्पर्य ब्रिक्स डेंसिटोमेट्रिक स्केल पर व्यक्त विलयन के घनत्व से और इसमें घुलित ठोस पदार्थ के प्रतिशत को प्रकट किये जाने से है।]

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये दिनांक 4 फरवरी, 1964 ई0 का सरकारी असाधारण गजट देखिये ।
2. उ0 प्र0 अधि0 सं0 15, 1974 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उपर्युक्त की धारा 3 द्वारा निकाली गई ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 1, 2023 की धारा 2(क) द्वारा बढ़ाया व पुर्नसंख्याकित किया गया।

(क–2) "नियंत्रक" का तात्पर्य धारा 4 के अधीन नियुक्त शीरा नियंत्रक से है ;

(ख) "आसावनी" का तात्पर्य यूनाइटेड प्राविंसेज एक्साइज ऐक्ट, 1910 के उपबन्धों के अधीन चालक (power) पेय (potable) या औद्योगिक मद्यसार बनाने के लिये लाइसेंस–प्राप्त भू–गृहादि से है ; **यू0 पी0 ऐक्ट संख्या 4, 1910**

(ग) "आबकारी अधिकारी" का वही अर्थ होगा जो यूनाइटेड प्राविसेंज एक्साइज ऐक्ट, 1910 में, excise officer का दिया गया है ; **यू0 पी0 ऐक्ट संख्या, 4 1910**

1[(घ) ''शीरा'' का तात्पर्य गन्ना के रस या चीनी चाशनी से चीनी या खांडसारी चीनी के विनिर्माण के दौरान उपोत्पाद के रूप में उत्पादित भारी, गहरे रंग के लसदार द्रव से है, जब इस रूप में या किसी मिश्रण के रूप में द्रव में चीनी अन्तर्विष्ट हो और इसमें राब या गुड़ से उत्क्रम प्रक्रिया के माध्यम से चीनी विनिर्माण के दौरान प्राप्त उपोत्पाद भी सम्मिलित है;]

2[(घघ) "शीरा वर्ष" का तात्पर्य 1 नवम्बर से प्रारम्भ होने वाली और अगले वर्ष की 31 अक्टूबर को समाप्त होने वाली अवधि से है ;]

3[(घ–1) * * *]

4[(ङ) ''अध्यासी'' का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसका चीनी कारखाना या खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई के मामलों में अंतिम नियंत्रण हो और इसमें चीनी कारखाना या खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई का प्रबंध अभिकर्ता सम्मिलित है ;]

(च) "नियत" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है ;

(छ) "राज्य" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है ; और

(ज) "शक्कर के कारखाने" अथवा "कारखाने" का तात्पर्य उसकी प्रसीमाओं (precincts) सहित किसी ऐसे भू–गृहादि से है, जहां बीस या उससे अधिक कर्मी काम कर रहे हों या पिछले बारह महीनों में किसी दिन काम कर रहे थे और जिसके किसी भाग में विद्युत–शक्ति की सहायता से निर्वात पात्रों द्वारा शक्कर के उत्पादन से संबंधित निर्माण–प्रक्रिया की जा रही हो या साधारणतया की जाती हो ।

5[(ज–1) ''खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई'' का तात्पर्य किसी आरक्षित क्षेत्र क्षेत्र में खांडसारी चीनी के विनिर्माण या उत्पादन में लगी हुयी या साधारणतया लगी हुयी किसी इकाई से है और जो किसी यांत्रिक शक्ति द्वारा संचालित किसी क्षैतिज कोल्हू की सहायता से उत्पादित गन्ना रस की उठायी–धरायी करने योग्य हो;

6 [(झ) ''आपूर्ति'' का तात्पर्य किसी चीनी कारखाना या खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई के अध्यासी द्वारा अपनी इकाई या किसी अन्य इकाई यथा आसवनी या किसी शीरा आधारित उद्योग को शीरा प्रदान करने से है;]

7[(ञ) * * *]

8 [(ट) ''गन्ना रस'' का तात्पर्य किसी वैक्यूम पैन चीनी कारखाना में सल्फाइटीकरण या शोधन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त प्राथमिक रस, द्वितीयक रस, मिश्रित रस तथा निर्मल रस से है;

---

1. उ0 प्र0 अधि0 सं0 1, 2023 की धारा 2 (ख) द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधि0 सं0 04, 1998 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया ।
3. उ0 प्र0 अधि0 सं0 1, 2023 की धारा 2(ग) द्वारा निकाला गया ।
4. उ0 प्र0 अधि0 सं0 1, 2023 की धारा 2(घ) द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ0 प्र0 अधि0 सं0 1, 2023 की धारा 2 (ङ) द्वारा बढ़ाया गया ।
6. उ0 प्र0 अधि0 सं0 1, 2023 की धारा 2(च) द्वारा बढ़ाया गया ।
7. उ0 प्र0 अधि0 सं0 1, 2023 की धारा 2(छ) द्वारा निकाला गया।
8. उ0 प्र0 अधि0 सं0 1, 2012 की धारा 2 (ज) द्वारा बढ़ाया गया ।

(ठ) चीनी सिरप'' का तात्पर्य गन्ना के सांद्रित रस से है जिसमें कुल घुला ठोस अंश 50 डिग्री से अन्यून हो, जैसा कि ब्रिक्स द्वारा उपदर्शित हो। 50 डिग्री ब्रिक्स के नीचे उसे किसी वैक्यूम पैन चीनी कारखाना में ब्रिक्स प्रतिशत द्वारा उपदर्शित सांद्रता पर आधारित गाढ़ा रस या रस के रूप में माना जा सकता है;]

अध्याय 2

परामर्शी एवं प्रशासनिक तंत्र

परामर्श समिति का संघटन

3– [1][(1) राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा, शीरे के संग्रहण, संरक्षण, श्रेणीकरण, मूल्य, संभरण तथा निस्तारण पर नियंत्रण रखने से सम्बद्ध मामलों पर परामर्श देने के लिये एक परामर्श समिति संघटित कर सकती है ।]

(2) समिति में उतने व्यक्ति होंगे और वह ऐसी शर्तो तथा प्रतिबन्धों के अधीन संघटित की जायगी जो नियत किये जायें ।

शीरा नियंत्रक की नियुक्ति

4–राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन शीरा नियंत्रक के अधिकारों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का पालन करने के लिये किसी व्यक्ति को शीरा नियंत्रक नियुक्त कर सकती है ।

अध्याय 3

संरक्षण, वितरण और मूल्य

शीरे का संरक्षण

5–शक्कर के कारखाने [2][या खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई] का प्रत्येक अध्यासी निम्नलिखित की व्यवस्था करेगा––

(क) कारखाने [2][या खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई] में उत्पादित शीरे के निरापद संरक्षण के लिये कारखाने [2][या खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई] के गृहादि के भीतर आच्छादित स्थान ;

(ख) चूने, रिसने, ऊपर से बह निकलने या अन्य ऐसी दुर्घटना से जिससे कारखाने में संगृहीत शीरे के गुण को क्षति पहुंचने की संभावना हो, रक्षा के पर्याप्त पूर्वोपाय ;

(ग) शीरे के साथ पानी के मिश्रण या ताजे शीरे के साथ पुराने बिगड़े हुए शीरे के मिश्रण को रोकने के लिये पर्याप्त प्रबन्ध ; और

(घ) शीरे को उठाने–धरने की, जिसके अन्तर्गत शीरे के नमूने लेना, उसे पम्प करना और टंकी बैगनों, टंकी लारियों तथा अन्य पात्रों में भरना भी है, पर्याप्त सुविधायें ।

अपमिश्रण से संरक्षण

6–(1) शक्कर के कारखाने [3][या खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई] का कोई अध्यासी अपने द्वारा उत्पादित या स्टाक में के किसी शीरे का अपमिश्रण न तो करेगा न करने देगा ।

---

1. उ0 प्र0 अधि0 सं0 15, 1974 की धारा 4 द्वारा प्रतिस्थापित ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 1, 2023 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 1, 2023 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया।

(2) शक्कर के किसी कारखाने [1][या खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई] की किसी संग्रहण टंकी में ऐसे शीरे का होना जिसमें शक्कर की मात्रा [लेन और इगनान के आयतन–मिति विधि (Lane and Egnon's Volumetric method) द्वारा अवधारित कुल अपचायक शक्कर (reducing Sugar) के रूप में व्यक्त] चालीस प्रतिशत से कम हो, यह प्रकल्पना करने के लिये पर्याप्त होगा कि कारखाने [3][या खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई] के अध्यासी में शीरे का अपमिश्रण किया है या करने दिया है ।

7– [2][(1) नियंत्रक, शुद्ध शीरे का समुचित संग्रहण, श्रेणीकरण, संभरण अथवा निस्तारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शक्कर के कारखाने के अध्यासी से कारखाने [3][या खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई] के भुगृहादि से किसी अपमिश्रित शीरे को, नियंत्रक द्वारा निर्दिष्ट की जाने वाली युक्ति युक्त अवधि के भीतर हटाने की अपेक्षा कर सकता है और अध्यासी अनुमत समय के भीतर उक्त अपेक्षा की पूर्ति करेगा ।]

(2) धारा 6 की उपधारा (2) में उल्लिखित शीरा इस धारा के प्रयोजनों के लिये अपमिश्रित शीरा समझा जायेगा ।

शीरे के लिए आवेदन पत्र

7–क– [4][(1) कोई व्यक्ति, जिसे अपनी आसवनी के लिए अथवा औद्योगिक विकास के किसी अन्य प्रयोजन के लिए या किसी अन्य देश को निर्यात के लिए शीरे की आवश्यकता हो, उस प्रयोजन, जिसके लिए यह अपेक्षित है, को विनिर्दिष्ट करते हुए नियंत्रक को विहित रीति से आवेदन कर सकता है।]

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन–पत्र प्राप्त होने पर और उस मामले में ऐसी जांच करने के पश्चात, जिसे वह उचित समझे, नियंत्रक धारा 8 के अधीन आज्ञा दे सकता है ।

(3) उपधारा (1) के अधीन आवेदन–पत्र का निस्तारण करने में, नियंत्रक निम्नलिखित पर विचार करेगा––

(क) शीरे की सामान्य उपलभ्यता ;

(ख) शीरे की विभिन्न आवश्यकतायें ;

(ग) शीरे की लोक–हित में सदुपयोगिता ;

(घ) सीमा जिस तक आवेदक की आवश्यकतायें यथार्थ हैं ;

(ङ) आवेदन–पत्र में निर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनार्थ ऐसे शीरे के जिसे आवेदन प्राप्त कर सकता हो, व्यपवर्तन की युक्तियुक्त संभाव्यता अथवा असंभाव्यता ; और यदि आवेदन–पत्र पूर्णतः या आंशिक रूप से अस्वीकार किया जाय तो वह उसके लिये कारणों को अभिलिखित करेगा ।][5]

शीरे की बिक्री और उसका संभरण

8–[6][(1) नियंत्रक, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, आदेश द्वारा किसी चीनी कारखाना या खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई के अध्यासी से, शीरे की उतनी मात्रा ऐसे व्यक्ति को जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, विहित रीति से विक्रय करने अथवा आपूर्ति करने की, अपेक्षा कर सकता है, और अध्यासी को किसी संविदा के होते हुए भी उक्त आदेश का अनुपालन करना होगा।]

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 1, 2023 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0 प्र0 अधि0 सं0 15, 1974 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 1, 2023 की धारा 5 द्वारा बढ़ाया गया।
4. उ0 प्र0 अधि0 सं0 44, 2018 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।
5. उ0 प्र0 अधि0 सं0 15, 1974 की धारा 6 द्वारा प्रतिस्थापित ।
6. उ0 प्र0 अधि0 सं0 1, 2023 की धारा 6(क) द्वारा प्रतिस्थापित ।

(1–क) [1][* * * *]

(2) उपधारा (1) के अधीन आज्ञा––

[2][(क) ऐसे ही व्यक्ति को शीरा सम्भरित करने की अपेक्षा करेगी जिसे उसकी अपेक्षा, अपनी आसवनी के लिए या औद्योगिक विकास के किसी प्रयोजन के लिए अथवा किसी अन्य देश को निर्यात के लिए, हो ।]

[3][(कक) खण्ड (क) में अभिदिष्ट व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकती है कि वह इस धारा के अधीन दी गई आज्ञा के अन्तर्गत उसे संभरित शीरे का उपयोग धारा 7–क की उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा दिये गये आवेदन–पत्र में निर्दिष्ट प्रयोजन के लिये करे और ऐसे निर्बन्धनों तथा शर्तो का, जो नियत की जायें, अनुपालन करे ।]

(ख) स्टाक की या वर्ष में उत्पादित किये जाने वाले शीरे की सम्पूर्ण मात्रा के लिये या उसके किसी भाग के लिये हो सकती है, किन्तु शक्कर के प्रत्येक कारखाने [4][या खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई] से सम्भरित किये जाने वाले शीरे का उस वर्ष में कारखाने [4][या खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई] के शीरे के कुल अनुमानित उत्पादन से अनुपात राज्य भर में एक ही होगा, सिवाय उस दशा के जब नियंत्रक की राय में, निम्नलिखित में से किसी कारण से अन्तर आवश्यक हो ;

(1) ऐसे क्षेत्र के भीतर, जिसमे शक्कर के कारखाने [2][या खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई] से उचित मूल्य पर शीरा ले जाया जा सके, आसवनियों की आवश्यकता ;

(2) उक्त क्षेत्र के भीतर औद्योगिक विकास के अन्य प्रयोजनों के लिये आवश्यकता ; और

(3) क्षेत्र में परिवहन सुविधाओं की उपलभ्यता ।

(3) नियंत्रक, उपधारा (1) के अधीन आज्ञा में, किसी भूल या लोप को ठीक करने के लिये या उपधारा (2) के खण्ड (ख) में उल्लिखित कारणों में से किसी में वाद में होने वाले परिवर्तन से उत्पन्न अपेक्षा की पूर्ति के लिये, ऐसे परिष्कार कर सकता है, जो आवश्यक हों ।

[5][(4) राज्य सरकार, समय–समय पर, शीरे के भंडारण, परिरक्षण, वितरण, आपूर्ति, आपूर्ति, विक्रय, परिवहन, ट्रैकिंग और निगरानी को विनियमित करने के उद्देश्य से ऐसी रीति से जैसा कि विहित की जाय और ऐसी दरों पर जैसा कि राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा अवधारित की जाय, किसी चीनी कारखाना या खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई से किसी प्रकार के शीरा का विक्रय या उसकी आपूर्ति, या तो अपनी निजी इकाई या किसी अन्य इकाई यथा आसवनी या किसी शीरा आधारित उद्योग को किये जाने पर, विनियामक शुल्क अधिरोपित कर सकती है और ऐसा विनियामक शुल्क चीनी कारखाना अथवा खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई के अध्यासी से वसूल किया जाएगा।

Li"Vhdj.k :– इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए समस्त चीनी कारखाने और साथ ही साथ खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाइयाँ, आबद्ध इकाइयों की शीरे की आबद्ध खपत पर विचार किये बिना, समान रूप से विनियमन के अध्यधीन होंगी।]

1. उ0 प्र0 अधि0 सं0 17, 2000 की धारा 2 द्वारा निकला गया ।
2. उ0 प्र0 अधि0 सं0 44, 2018 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 15, 1974 की धारा 7 द्वारा बढ़ाया गया ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 1, 2023 की धारा 6(ख) द्वारा बढ़ाया गया।
5. उ0 प्र0 अधि0 सं0 1, 2023 की धारा 6 (ग) द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1][(5) * * *]

[2] [**8–क** किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रतिकूल होते हुए भी उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन अधिनियम), 2023 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2023) के किसी उपबन्ध के अधीन दिनांक 24 दिसम्बर, 2021 से कृत या किये जाने हेतु तात्पर्यित कोई बात या कृत या की गयी तात्पर्यित कोई कार्यवाही विधिमान्य रहेगी और सदैव विधिमान्य रही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।] **विधिमान्यकरण**

9–(1) धारा 8 की धारा (1) या उपधारा (3) के अधीन आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति, आज्ञा से सूचित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को नियत रीति से अपील कर सकता है और राज्य सरकार उस पर ऐसी आज्ञा दे सकती है जो वह उचित समझे । **अपील**

(2) उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार की आज्ञा अन्तिम होगी ।

10– [3][x x x]

[4] [**10–क–**शक्कर के प्रत्यक कारखाने [5] [या खाण्डसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई] का अध्यासी नीचे विनिर्दिष्ट विभिन्न श्रेणियों के शीरे के विक्रय मूल्य से ऐसी धनराशि, जिसे राज्य सरकार इस निमित्त अधिसूचित करे, नियंत्रक द्वारा समय–समय पर जारी की गई सामान्य या विशेष आज्ञा के अनुसार संग्रह की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था तथा अनुरक्षण में उपयोग करने के लिए एक पृथक विधि रखेगा। **संग्रहण की पर्याप्त सुविधाओं को विनियमित करने के लिए निधि**

शीरे की श्रेणी	**शीरे में शक्कर की कुल मात्रा का प्रतिशत (अपचायक शक्कर के रूप में व्यक्त)**
प्रथम	50 प्रतिशत तथा उनके ऊपर
द्वितीय	44 प्रतिशत से 49.99 प्रतिशत तक
तृतीय	40 प्रतिशत से 43.99 प्रतिशत तक

अध्याय 4
अपराध और शास्तियां

11–(1) जो व्यक्ति इस अधिनियम के किसी उपबन्ध का या तद्धीन बनाये गये नियमों अथवा दी गयी आज्ञाओं या जारी किये गये निदेशों का उल्लंघन करे अथवा किसी ऐसे मामले के बारे में, जिसके सम्बन्ध में उससे इस अधिनियम या उक्त नियमों, आज्ञाओं या निदेशों के अधीन सूचना देने की अपेक्षा की गयी हो, जानबूझ कर कोई मिथ्या विवरण दे या मिथ्या विवरणी प्रस्तुत करे वह सिद्धदोष पाये जाने पर दोनो में से किसी प्रकार के कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकता है, अथवा अर्थदण्ड से, जो [6][एक लाख रूपये] तक हो सकता है, अथवा दोनो से दण्डनीय होगा और, निरन्तर उल्लंघन होते रहने की दशा में ऐसे अतिरिक्त अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा जो इस प्रकार प्रथम सिद्धदोष पाये जाने के पश्चात् के प्रत्येक ऐसे दिन के लिये, जिसमें ऐसा उल्लंघन जारी रहे, [6][पाँच हजार रूपये] तक हो सकता है । **उपबन्धों का उल्लंघन**

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 25, 2021 की धारा 3(2) द्वारा निकाला गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 18, 2023 की धारा 2 द्वारा बढ़ाया गया।
3. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 17, 2000 की धारा 3 द्वारा निकाला गया।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 4, 1998 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित।
5. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 1, 2023 की धारा 7 द्वारा बढ़ाया गया।
6. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 33, 2018 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित।

[1][(2) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध पर विचार करने वाला कोई न्यायालय, यह निदेश दे सकता है कि कोई ऐसा शीरा और ऐसे पात्र या पैकेज जिसमें उक्त शीरा रखा गया हो, को ले जाने में प्रयुक्त पशु, गाड़ी, जलयान, कन्टेनर या वाहन, जिसके सम्बन्ध में न्यायालय का यह समाधान हो जाय कि ऐसा अपराध किया गया है, राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत कर लिये जायेंगे ।]

कम्पनियों द्वारा अपराध

12–(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई सम्पनी हो, तो कम्पनी के साथ–साथ प्रत्येक व्यक्ति भी जो अपराध किये जाने के समय कम्पनी का कारोबार चलाने के निमित्त उसका प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी रहा हो, अपराध करने का दोषी समझा जायगा और तदनुसार उसके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा उसे दण्ड दिया जा सकेगा ;

प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा की किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति दण्ड का भागी न होगा जो यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था अथवा उसने उस अपराध को रोकने के लिये सभी प्रकार की यथोचित सावधानी बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया जाय और यह सिद्ध हो जाय कि अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, प्रबन्ध–अभिकर्ता, सचिव या किसी अन्य अधिकारी की सहमति से या उसकी मौनानुकलता से हुआ अथवा यह कि अपराध उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ तो वह निदेशक, प्रबन्धक, प्रबन्ध–अभिकर्ता, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और तदनुसार उसके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा उसे दण्ड दिया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये––

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसके अन्तर्गत कोई भी फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ (association) भी है, और

(ख) फर्म के सम्बन्ध में "निदेशक" का तात्पर्य फर्म के साझीदार से है ।

अपराध संज्ञान

13–(1) कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान (Congnizance) तब तक न करेगा, जब तक कि अधिकारी निरीक्षक या उससे उच्च श्रेणी का आबकारी अधिकारी लिखित रूप मे उस अपराध के संघटक तथ्यों की सूचना न दे ।

(2) कोई भी न्यायालय, जो प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न श्रेणी का हो, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध पर विचार न करेगा ।

ऐक्ट संख्या 5, 1898

(3) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1898 के अपने संज्ञेय और जमानत योग्य (Cognizable and bailable) होगा

प्रवेश करने, तलाशी लेने और अभिग्रहण का अधिकार

14–(1) कोई पुलिस अधिकारी जो उप–निरीक्षक (सब–इन्सपेक्टर) से निम्न श्रेणी का न हो या उप–निरीक्षक (आबकारी) की या उससे उच्च श्रेणी का कोई आबकारी अधिकारी–

(क) किसी समय किसी भू–गृहादि में, जिसके सम्बन्ध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई ऐसा शीरा, जिसके सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध किया गया है या किया जाने वाला है, रखा या छिपाया गया है, प्रवेश कर सकता है तथा उसकी तलाशी ले सकता है ;

1. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 33, 2018 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ख) ऐसे शीरे या किसी बक्से, पैकेट, पात्र, बण्डल या आच्छादन का जिसमें ऐसा शीरा हो और ऐसे शीरे के व्यापार से सम्बन्धित किन्हीं पुस्तिकाओं, लेखों, लेख्यों या विवरण–पत्रों का अभिग्रहण कर सकता है ; और

[1][(खख) ऐसे पात्र या बण्डल के प्रवहण में प्रयुक्त प्रत्येक पशुवाहन वेसल कंटेनर या अन्य सवारी का अभिग्रहण ;]

(ग) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके सम्बन्ध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि वह इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का दोषी है, निरूद्ध कर सकता है, उसकी तलाशी ले सकता है और उसे गिरफ्तार कर सकता है ।

(2) इस धारा के अधीन ली गयी सभी तलाशियां कोड आफ क्रिमिनल प्रोसिजर, 1898 के उपबन्ध के अनुसार होगा । **ऐक्ट संख्या 5, 1898**

(3) कोई पुलिस अधिकारी या उप–निरिक्षक से निम्न श्रेणी का न हो या आबकारी निरीक्षक की या उससे उच्च श्रेणी का कोई आबकारी अधिकारी किसी ऐसे अपराध का अनुसंधान कर सकता है जो इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय हो और जो ऐसे क्षेत्र का सीमाओं के भीतर किया गया हो जिसमें उक्त अधिकारी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता हो ।

(4) कोई ऐसा अधिकारी ऐसे अनुसंधान के सम्बन्ध में उन अधिकारों का प्रयोग कर सकता है जिनका प्रयोग थाने का प्रभारी अधिकारी कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1898 के अध्याय 14 के उपबन्धों के अधीन संज्ञेय अपराध के सम्बन्ध में कर सकता है। **ऐक्ट संख्या 5, 1898**

अभिग्रहण की सूचना देना

15–[2][(1) धारा 14 के अधीन अभिग्रहीत किसी शीरे या किन्हीं वस्तुओं के बारे में रिपोर्ट, ऐसे अभिग्रहण के पश्चात् यथाशीघ्र, अधिकारितायुक्त मैजिस्ट्रेट को की जायेगी, जो ऐसी जांच, यदि कोई हो, जिसे वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् और शीरे का नमूना लेने के पश्चात् नियंत्रक की आज्ञाओं के अनुसार उसका निस्तारण करने के लिये ऐसे निदेश दे सकता है जिन्हें वह उचित समझे ।]

(2) यदि ऐसे अभिग्रहण के दिनांक से छः मास के भीतर कोई अभियोग न चलाया जाय, तो मैजिस्ट्रेट उस शीरे या उन वस्तुओं को उन व्यक्तियों के हक में जिनसे अभिग्रहीत की गयी थीं, छोड़ने की आज्ञा दे सकता है ।

अपराधों के सम्बन्ध में समझौता करने का अधिकार

16–नियंत्रक किसी व्यक्ति से, जिसके द्वारा इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध किये जाने का युक्तियुक्त संदेह हो, ऐसे किये गये अपराध के लिये समझौते के रूप में [3][दो लाख पचास हजार रूपये] से अनधिक धनराशि स्वीकार कर सकता है और ऐसी प्रत्येक दशा में, जब इस अधिनियम के अधीन जब्त की जाने योग्य कोई सम्पत्ति अभिग्रहीत की गयी हो, नियंत्रक द्वारा अनुमानित उसके मूल्य का भुगतान किये जाने पर उस सम्पत्ति को छोड़ सकता है। नियंत्रक को, यथास्थिति, ऐसी धनराशि या मूल्य अथवा दोनो का भुगतान किये जाने पर अभियुक्त को, यदि वह हिरासत में हो, उन्मुक्त कर दिया जायगा और अभिग्रहीत सम्पत्ति छोड़ दी जायगी और उस व्यक्ति या सम्पत्ति के विरूद्ध आगे कोई कार्यवाही न की जायगी ।

अध्याय 5

विविध

लेखे रखना और विवरणियां प्रस्तुत करना आदि

17–प्रत्येक शक्कर कारखाने [4][या खाण्डसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाई] का अध्यातो और ऐसा व्यक्ति जिसे उक्त अध्यासी द्वारा [5][शीरा [4][विक्रीत] अथवा सम्भरित किया जाय] इस बात के लिये बाध्य होगा कि वह––

(क) ऐसे रजिस्टर, अभिलेख, लेख, उपकरण और प्रतिकर्मी द्रव्य (reagents), रखे जो नियत किये जाये ;

---

1. उ0 प्र0 अधि0 सं0 10, 2009 की धारा 4 द्वारा बढ़ाया गया ।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 15, 1974 की धारा 9 द्वारा प्रतिस्थापित ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 33, 2018 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित ।
4. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 1, 2023 की धारा 8 द्वारा बढ़ाया गया।
5. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 10, 2009 की धारा 5 द्वारा प्रतिस्थापित ।

(ख) शीरे के उत्पादन और निस्तारण के सम्बन्ध में उन व्यक्तियों को और उन दिनांकों तक, ऐसी रीति से वे सभी ऐसी सूचनाएं दे और विवरणियां प्रस्तुत करे जो नियंत्रक आज्ञा द्वारा नियत करे ;

(ग) आबकारी अधिकारी द्वारा, जो उप–निरीक्षक (आबकारी) से निम्नश्रेणी का न हो, मांग किये जाने पर ऐसे रजिस्टर, अभिलेख, लेख्य, उपकरण तथा रासायनिक प्रतिक्रमी द्रव्य प्रस्तुत करें, जिन्हें रखने की अपेक्षा उससे अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों अथवा दी गयी आज्ञाओं के उपबन्धों के अधीन की गयी हो ।

कारखानों [1][या खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाईयाँ] में तैनात निरीक्षकों के लिये आवास

18–शक्कर के प्रत्येक कारखाने [1][या खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाईयाँ] का अध्यासी, इस अधिनियम, तद्धीन बनाये गये नियमों, दी गयी आज्ञाओं तथा जारी किये गये निदेशों के उपबन्धों का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नियंत्रक द्वारा शक्कर के कारखाने [1][या खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाईयों] में तैनात किये गये आबकारी अधिकारी के लिये शक्कर के कारखाने की प्रसीमाओं के भीतर, ऐसे किराये का भुगतान करने पर और ऐसी शर्तो पर, जो नियत की जायें, आवास–स्थान को व्यवस्था करने के लिये बाध्य होगा ।

अधिकारों का प्रतिनिधान

19–नियंत्रक, गजट में विज्ञाप्ति द्वारा, यह निदेश दे सकता है कि धारा 8 को छोड़कर, इस अधिनियम के या तद्धीन बनाये गये नियमों के अधीन उसके द्वारा प्रयोज्य कोई अधिकार ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तो के अधीन (यदि कोई हो), जो विज्ञप्ति में निर्दिष्ट की जायें, उसके किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा भी प्रयोज्य होगा ।

सद्भावना से किये गये कार्यो का संरक्षण

20–इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों अथवा दी गयी आज्ञाओं के अनुसरण में सद्भावना से किये गये या किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के सम्बन्ध में राज्य सरकार या किसी अधिकारी के विरूद्ध कोई भी वाद अथवा विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी ।

आज्ञाओं की तामील

21–(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन दी गयी आज्ञा––

(क) उस दशा में जब वह सामान्य प्रकार की या व्यक्तियों के वर्ग को प्रभावित करने वाली आज्ञा हो, गजट में विज्ञापित की जायेगी ; और

(ख) उस दशा में जब वह किसी व्यक्ति विशेष के प्रति हो, उस व्यक्ति पर निम्नलिखित प्रकार से तामील की जायगी ––

(1) डाक प्रमाण–पत्र के अधीन डाक द्वारा या उसे उक्त व्यक्ति को देकर या उसके समक्ष प्रस्तुत करके ; या

(2) यदि यह इस प्रकार से दो या प्रस्तुत की न सकती हो, तो उसे भू–गृहादि के जिसमें वह व्यक्ति रहता हो वाह्म द्वार या किसी अन्य प्रमुख भाग पर चिपका कर, और उसकी इस प्रकार की तामील का एक विवरण तैयार करके जिस पर उस स्थान पर रहने वाले दो व्यक्तियों का साक्ष्य हो ।

नियम बनाने का अधिकार

22–[2][(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये, गजट में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है ।

(2) विशेषतः और पूर्वोक्त अधिकार की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती है––

(क) परामर्श समिति का संघटना, उसके सदस्य चुने जाने की रीति, उनका कार्यकाल, उन्हें देय भत्ते, यदि कोई हो, रीति जिसके अनुसार परामर्श समिति अपना परामर्श देगी और उसके कार्य–संचालन की प्रक्रिया ;

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 1, 2023 की धारा 9 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 18, 2023 की धारा 3 द्वारा प्रतिस्थापित।

(ख) परामर्श समिति के सदस्यों को हटाने से संबंधित प्रक्रिया ;

(ग) शक्कर के कारखानों [1][या खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाईयाँ] द्वारा शीरे के संरक्षण और उसके संग्रहण से संबंधित शर्ते ;

(घ) शीरे के श्रेणीकरण और नमूने लेने के संबंध में विशिष्टियां और परीक्षण, जिसमें उसकी मात्रा तथा गुण की जांच भी सम्मिलित है ;

(ङ) शीरे के बिक्री और उसके सम्भरण की रीति ;

[2] [(ङङ) रीति जिसके अनुसार धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन देय [1][विनियामक शुल्क] वसूल किया जायगा ;]

(च) राज्य सरकार को अपील का आकार और अपील करने की रीति तथा उसके निस्तारण में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(छ) अपराधों में समझौता करने की प्रक्रिया ;

(ज) शक्कर के कारखानों [1][या खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाईयाँ] के अध्यासियों द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर, अभिलेख, लेखे, उपकरण तथा प्रतिकर्मी द्रव्य ;

(झ) किराया और शर्ते, जिन पर शक्कर के कारखाने [1][या खांडसारी चीनी विनिर्माणकर्ता इकाईयाँ] की प्रसीमाओं के भीतर आबकारी अधिकारी के लिये आवास की व्यवस्था की जायगी ;

(ञ) शीरे के उत्पादन, वितरण और उपयोग के संबंध में सूचना या आंकड़ें एकत्र करना ।

(ट) इस अधिनियम के अधीन जब्त किये गये शीरे और वस्तुओं का निस्तारण ;

(ठ) कोई अन्य विषय जो नियत किये जाने हों या नियत किये जा सकें ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान–मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और जब तक कि कोई वाद का दिनांक निर्धारित न किया जाये, वे गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों अथवा अभिशून्यनों (annulments) के अधीन रहते हुए प्रभाव होंगे जो विधान मंडल के दोनो सदन करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।

यू0 पी0 ऐक्ट संख्या 23, 1947 का निरसन

23–यूनाइटेड प्राविंसेज मोलासेज (कन्ट्रोल) ऐक्ट, 1947 निरस्त किया जाता है ।

[3][X X X X X]

---

1. उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 1, 2023 की धारा 10 द्वारा बढ़ाया गया।
2. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 5, 1986 की धारा 3 द्वारा बढ़ाया गया ।
3. उ0 प्र0 अधिनियम सं0 4, 1998 की धारा 6 द्वारा अनुसूची निकाला गया ।